न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम–04 जयपुर, महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : नीलम करवा, आर.जे.एस.

दांडिक निगरानी संख्या– 06/2026
सी0आई0एस0 संख्या–104/2026

1 वेद प्रकाश पुत्र श्री चन्द्रभान, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम सौरखी, थाना बास जिला हिसार (हरियाणा)

2 सत्यवान पुत्र श्री सूरत सिंह, आयु 53 वर्ष, निवासी ग्राम सौरखी, थाना बास जिला हिसार (हरियाणा)

3 रणवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, आयु 41 वर्ष, निवासी ग्राम बोहतवाला, थाना सदर जिला हिसार (हरियाणा)

4 सुनील कुमार पुत्र श्री धूप सिंह, आयु 34 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर–2, इन्द्रा कॉलोनी, करतारपुरा, रोहतक, थाना कोतवाली जिला रोहतक (हरियाणा)

5 कुलदीप पुत्र श्री प्रकाश, आयु 47 वर्ष, निवासी बवानी खेड़ा, थाना बवानी खेड़ा जिला भिवानी (हरियाणा)

.....निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर महानगर–।।

2. देवेन्द्र सिंह चौहान पुत्र अनूप सिंह चौहान, आयु 54 वर्ष, निवासी मकान नम्बर–585(ए), जेम्स कॉलोनी, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर।

.....गैरनिगरानीकर्ता/परिवादी

''दाण्डिक निगरानी याचिका विरूद्व आक्षेपित आदेश दिनांकित 03.12.2025 एवं दिनांक 13.02.2026 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), जयपुर महानगर–द्वितीय के पीठासीन अधिकारी श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा प्रकरण संख्या–6908/2023 बअनुवान सरकार बनाम वेदप्रकाश व अन्य में पारित किया गया ''

उपस्थिति :–

श्री जितेन्द्र कुमार गोयल, श्री आर.एन.चौधरी, विद्वान अधिवक्तागण, निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से,
श्री मुकेश जोशी, अपर लोक अभियोजक, गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 राज्य की ओर से,
गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 परिवादी देवेन्द्र सिंह चौहान स्वयं उपस्थित।

—:: आदेश ::— **दिनांक :— 17.07.2026**

1. यह दांडिक निगरानी, निगरानीकर्तागण वेद प्रकाश व अन्य की ओर से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), जयपुर महानगर—द्वितीय द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या—6908/2023, बउनवान सरकार बनाम वेदप्रकाश व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 03.12.2025 एवं 13.02.2026 के विरूद्व माननीय सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत की, जो विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित की गई।

2. हस्तगत निगरानी में निगरानीकर्तागण वेदप्रकाश व अन्य ने विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 03.12.2025 एवं 13.02.2026 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण एवं परिवादी पक्ष के मध्य पेश हुए राजीनामे को तस्दीक करने से इन्कार करने एवं अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. के स्थान पर परिवर्तित आरोप अन्तर्गत धारा 380 भा.दं.सं. का आरोप विरचित किये जाने का आदेश पारित कर दिया, उक्त आलौच्य आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण वेद प्रकाश व अन्य की ओर से हस्तगत निगरानी पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. दौराने बहस निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवादी देवेन्द्र सिंह ने अपनी पत्नी व साली के साथ घटित घटना की तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 22.07.21 को पुलिस थाना जीआरपी, जयपुर पर दर्ज करवाई, जिस पर मुकामी पुलिस ने मु0नं0 126/21 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया, बाद अनुसंधान निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 379, 34 भा.दं.सं. का अपराध घटित होना मानते हुए आरोप पत्र विचारण सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस आरोप सुनने के पश्चात् निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 379, 149 भा.दं.सं. का अपराध बनना प्रमाणित मानते हुए उक्त धाराओं में पृथक से आरोप विरचित किये गये, तत्पश्चात् गवाहान को तलब किया गया, जिनके उपस्थित नहीं आने पर उनको गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया, जिस पर दिनांक 03.12.25

को गवाहान देवेन्द्र सिंह, कमलेश कंवर व मिथलेश कंवर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिन्होंने निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने का कथन करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उक्त राजीनामा को देखकर नाराज हो गये व राजीनामा जो कि दं.प्र.सं. की धारा 320(1) के प्रथम खण्ड में आता है और अपराध अं. धारा 379 भा.दं.सं. में राजीनामा के लिये विचारण न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी उक्त धारा में अनुमति के लिये प्रार्थनापत्र मनमाने तरीके से प्राप्त कर उसे खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 13.02.206 को धारा 380 भा.दं.सं. में आरोप विरचित करने का आदेश दिया, जो कि अवैधानिक व विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

5. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने यह भी तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वर्तमान प्रकरण चलती ट्रेन के साधारण कोच में चोरी से संबंधित है, जो कि धारा 379 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है, चलती ट्रेन में चोरी धारा 380 भा.दं.सं. की परिधि में नहीं आती है, क्योंकि धारा 380 भा.दं.सं. केवल किसी निर्माण, तम्बू या जलयान जो कि मानव निवास या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में लिया जाता हो, में की गई चोरी पर ही लगती है तथा आज तक चलती ट्रेन में चोरी के जितने भी अपराध घटित हुए हैं और उनमें आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह धारा 379 भा.दं.सं. में ही प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में धारा 380 भा.दं.सं. का जो अपराध प्रमाणित माना है, वह मनमाना व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने यह भी तर्क दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने रेलवे के डिब्बे को धारा 379 भा.दं.सं. की श्रेणी में ही रखा है, क्योंकि यह डिब्बा स्थायी तौर पर निवास के काम में नहीं आता है, बल्कि मात्र यात्रा के काम में आता है तथा साधारण श्रेणी का कोच होने के कारण उसमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रवेश पर रेल्वे की तरफ से किसी प्रकार की कोई रोक भी नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना औलाच्य आदेश पारित कर गंभीर त्रुटि की है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 03.12.2025 एवं दिनांक 13.02.2026 को अपास्त कर परिवादी व निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत किये गये राजीनामा दिनांक 03.12.2025 को तस्दीक मानते हुए निगरानीकर्तागण को भा.दं.सं. की धारा 379, 149 में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किये जाने के आदेश प्रदान

किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 को निगरानीकर्तागण के विरूद्व धारा 380 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित मानते हुए उक्त धारा में आरोप विरचित किये जाने संबंधी जो आदेश पारित किया है, उसको अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने बहस के तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया :–

01. Shailendra jain Vs Union of India CM(M) 3564/2024 & CM Appl. 59059/2024

7. इसके विपरीत गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः विधि सम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

8. इसके विपरीत स्वयं गैर–निगरानीकर्ता संख्या–2 दिनांक 27.04.2026 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये, ने इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने के कारण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते तथा प्रकरण का जरिये राजीनामा निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

9. उभय पक्षों के बहस के तर्को पर मनन किया एवं निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी का अवलोकन किया तथा निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

10. इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 03.12.2025 एवं 13.02.2025 विधि सम्मत, त्रुटिरहित या औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं ?

11. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो हस्तगत आपराधिक निगरानी याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 379 भा.दं.सं. के स्थान पर धारा 380 भा.दं.सं. का आरोप निर्धारित किया गया तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर धारा 380 भा.दं.सं. को Non Compoundable मानते हुए आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

12. पत्रावली का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् संबंधित विधि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 380 भा.दं.सं. तब लागू होती है, जब चोरी किसी ऐसे निर्माण (Building), तम्बू (Tent) अथवा जलयान

(Vessel) में की गई हो, जिसका उपयोग **मानव निवास अथवा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये** किया जाता हो। उक्त प्रावधान का उद्देश्य ऐसे स्थानों को विशेष संरक्षण प्रदान करना होता है, जो स्वभावतः मानव निवास अथवा सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये प्रयुक्त होते हों।

13. हस्तगत प्रकरण में घटना चलती हुई पैसेन्जर रेलगाड़ी के यात्री डिब्बे मेंघटित होना बताई गई है। रेल का डिब्बा मूलतः यात्रियों के आवागमन के लिये प्रयुक्त साधन का स्थान है, उसे मात्र यात्रा के दौरान यात्रियों की उपस्थिति के कारण "मानव निवास" नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में धारा 380 भा.दं.सं. के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में परिलक्षित नहीं होते हैं, इसलिये केवल मात्र घटना के रेलगाड़ी में घटित होने के आधार पर धारा 379 भा.दं.सं. को धारा 380 भा.दं.सं. में परिवर्तित करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 380 भा.दं.सं. का आरोप निर्धारित किये जाने का आधार विधि सम्मत नहीं होने से उक्त आदेश हस्तक्षेप योग्य है। जब मूल अपराध धारा 379 भा.दं.सं. का बनता है, तब वह दं.प्र.सं. की धारा 320 के अधीन समझौता योग्य अपराध है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा भी विधि के अनुसार सत्यापन एवं उस पर निर्णय किया जाना अपेक्षित था।

15. इस संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Shailendra jain Vs Union of India CM(M) 3564/2024 & CM Appl. 59059/2024** का अवलोकन करें तो इसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों के सामान के चोरी होने पर भा.दं.सं. की धारा 379 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) का लागू होना प्रतिपादित किया है। इसी न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय **स्टेशन अधीक्षक बनाम सुरेन्द्र भोला 2023 एस.एस.सी. ऑनलाईन (एस.सी) 741** को डिस्कस किया है, जिसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रेन में यात्री के निजी सामान की चोरी होना सीधे तौर पर धारा 379 भा.दं.सं. के तहत एक आपराधिक कृत्य माना है।

16. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर निर्भरता व्यक्त करते हुए प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है तथा

अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 13.02.2026 अपास्त किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

17. परिणामतः निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण **वेदप्रकाश व अन्य** द्वारा प्रस्तुत यह दांडिक निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 379 भा.दं.सं. के स्थान पर धारा 380 भा.दं.सं. का आरोप निर्धारित करने संबंधी आदेश दिनांकित 13.02.2026 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित (Remand) किया जाता है कि वह पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का विधि के अनुसार सत्यापन करें, उसके संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 320 के प्रावधानों के अनुरूप यथोचित आदेश पारित करें।

18. आदेश की प्रति मय अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को तुरन्त भेजी जावे। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2026 को उपस्थित हों।

(नीलम करवा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम—04
जयपुर महानगर, द्वितीय

आदेश आज दिनांक 17—07—2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(नीलम करवा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम—04
जयपुर महानगर द्वितीय